माननीय जी. एस. सिंघवी और टी. *एच. बी. चलपति* के समक्ष

सुरिंदर सिंह, -याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-उत्तरदाता।

C.W.P. *No.* 12478 of 1995.

29 नवंबर, 1995।

भारत का संविधान, 1950-कला।226/227–हरियाणा सरकार 8 मई, 1995 के निर्देश-खंड 2 (iv)-करुणा नियुक्ति सरकारी परिपत्र में केवल अविवाहित बच्चों को अनुग्रह योजना के तहत नियुक्ति के लिए पात्र बनाया गया है - मृत कर्मचारी के विवाहित और अविवाहित आश्रितों को अनुचित वर्गीकरण है - इस तरह के वर्गीकरण का मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति से कोई संबंध नहीं है - परिपत्र दिनांक 8 के खंड 2 (iv) मई, 1995 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के मनमाने, अतार्किक और उल्लंघनकारी के रूप में खारिज कर दिया गया - 8 मई, 1995 का सरकारी परिपत्र पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं हो सकता है ताकि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आश्रितों के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि 8 मई, 1995 को जारी किए गए निर्देशों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है ताकि याचिकाकर्ता के अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इसलिए, यह मानना उचित है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर कार्रवाई करने में उनकी विफलता के कारण, प्रतिवादियों ने याचिकाकर्ता को मृतक के आश्रित के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के अधिकार से वंचित कर दिया है।

(पैरा 6)

इसके अलावा यह अभिनिर्धारित किया गया कि खंड 2 (iv) मृतक की विधवा पर लागू नहीं होता है जो सामान्य रूप से विधवा है।मृतक कर्मचारी का आश्रित।

(पैरा 8)

इसके अलावा, यह अभिनिर्धारित किया गया कि परिवार की वित्तीय स्थिति का मृतक के आश्रित के विवाह के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है।एक विवाहित बच्चा मृतक पर निर्भर हो सकता है और अविवाहित बच्चा मृतक पर निर्भर नहीं हो सकता है। इसलिए, केवल बच्चे की शादी के आधार पर मृत कर्मचारी के आश्रितों के बीच वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। इस तरह के वर्गीकरण का मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति के मानदंडों से कोई लेना-देना नहीं है।।वास्तव में संलग्नक पी-4 का खंड 2 (आई) केवल उन मामलों में रोजगार को प्रतिबंधित करने के सरकार के इरादे को दर्शाता है जहां परिवार की मासिक आय रु। 2, 500 प्रति माह।खंड 2 (i) उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को पर्याप्त रूप से पूरा करता है और मृतक सरकारी कर्मचारी के विवाहित और अविवाहित आश्रितों के बीच किया गया वर्गीकरण पूरी तरह से मनमाना और तर्कहीन है।इस वर्गीकरण का प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं है और इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत है।

(पैरा 9)

इसके अलावा, 8 मई 1995 के मेमो के खंड 2(iv) को असंवैधानिक घोषित किया जाता है और रद्द कर दिया जाता है।

(पैरा 10)

‘

आर के गुप्ता।अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए।

आर. एन. रैनाप्रतिवादीओं के लिए उप महाधिवक्ता हरियाणा।

निर्णय

न्यायमूर्ति जी. एस. *सिंघवी,*

1) इस याचिका में अनुग्रह योजना के तहत मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार के विषय पर हरियाणा सरकार द्वारा जारी अनुबंध पी-4 के खंड 2 (iv) को चुनौती दी गई है।

2) याचिकाकर्ता के पिता श्री रणजीत सिंह जिला सैनिक बोर्ड, नारनौल में चतुर्थ श्रेणी सेवक (माली-सह-चौकीदार) के रूप में कार्यरत थे। 19 अप्रैल, 1994 को ड्यूटी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।याचिकाकर्ता की मां ने राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई अनुग्रह योजना के अनुसार अनुकंपा के आधार पर याचिकाकर्ता की नियुक्ति के लिए जिला सैनिक बोर्ड, *नारनौल* के सचिव के समक्ष 9 मई, 1994 को एक आवेदन प्रस्तुत किया।उनका आवेदन सचिव, जिला सैनिक बोर्ड द्वारा सचिव, हरियाणा राज्य सैनिक बोर्ड को भेजा गया था। रायवा सैनिक बोर्ड, हरियाणा के सचिव ने जिला सैनिक बोर्ड के सचिव को सूचित किया कि याचिकाकर्ता का नाम उसे रोजगार देने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई प्राथमिकता सूची के क्रम संख्या 463 पर दर्ज किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा किए गए एक और अभ्यावेदन पर, सचिव, जिला सैनिक बोर्ड ने एक बार फिर 12 जून, 1995 को सचिव को लिखा।हरियाणा राज्य सैनिक बोर्ड, प्रतिवादी संख्या 2 ने कहा कि याचिकाकर्ता को रोजगार

प्रदान किया जा सकता है क्योंकि स्वर्गीय श्री रंजीत सिंह की विधवा पर बहुत दबाव था।11 जुलाई को।1995 सचिव, जिला सैनिक बोर्ड ने प्रतिवादी संख्या 2 को एक पत्र (अनुलग्नक पी-3) लिखा जिसमें सूचित किया गया कि नारनौल में जिला सैनिक बोर्ड में चौकीदार-सह-माली का एक पद खाली पड़ा है।याचिकाकर्ता का एक शपथ पत्र भी पत्र (अनुलग्नक पी-3) के साथ भेजा गया था।इन सिफारिशों के बावजूद, याचिकाकर्ता और उसकी मां द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को अनुग्रह योजना के अनुसार अनुकंपा के आधार पर रोजगार *नहीं* दिया गया है।

3) याचिकाकर्ता का कहना है कि उसके आवेदन के लंबित रहने के दौरान सरकार ने दिनांक 8 मई 1995 को मेमो नंबर 16वां स्ले, 1995-6 जीएस-II जारी किया। सरकार ने मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अनुग्रह राशि योजना के तहत रोजगार देने के लिए आगे के निर्देश जारी किए हैं और इन निर्देशों के खंड (iv) के आधार पर, प्रतिवादी ने अब याचिकाकर्ता को नियुक्ति नहीं देने का निर्णय लिया है क्योंकि वह अपने पिता की मृत्यु से पहले विवाहित था। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि प्रतिवादियों का यह निर्णय और 8 मई, 1995 के ज्ञापन (अनुलग्नक पी-4) में निहित निर्देशों में खंड 2(iv) को शामिल करना मनमाना और असंवैधानिक है क्योंकि खंड (iv) और मृत कर्मचारी के आश्रितों को रोजगार देने के उद्देश्य के बीच कोई संबंध नहीं है।

4) प्रतिवादी ने तर्क दिया है कि सरकार की नीति को देखते हुए केवल अविवाहित बच्चे अनुग्रह योजना के तहत नियुक्ति के लिए पात्र हैं, जिसे 1993 की एसएलपी संख्या 10504-उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। प्रतिवादी ने आगे तर्क दिया है कि केवल प्राथमिकता सूची में याचिकाकर्ता का नाम शामिल करने से उसे सरकारी सेवा में

नियुक्त होने का कोई अधिकार नहीं मिलता है और सरकार द्वारा जारी नीतिगत निर्देशों को देखते हुए, याचिकाकर्ता को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती है।

5) दो बिंदु जिन पर न्यायालय द्वारा निर्णय की आवश्यकता है वह यह कि क्या याचिकाकर्ता को मेमो दिनांक 8 मई, 1995 (अनुलग्नक पी-4) में निहित निर्देशों के आधार पर स्वर्गीय श्री रणजीत सिंह का आश्रित होने के नाते अनुकंपा के आधार पर रोजगार से वंचित किया जा सकता है और क्या मेमो (अनुलग्नक पी-4) का खंड 2(iv) असंवैधानिक है।

6) रिट याचिका में किए गए कथनों और जवाब और साथ में दिए गए दस्तावेजों के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता का नाम क्रम संख्या 463 पर सरकार की प्राथमिकता सूची में दर्ज किया गया था क्योंकि याचिकाकर्ता को मृत कर्मचारी के आश्रित के रूप में नियुक्त किए जाने के योग्य माना गया था। 11 जुलाई, 1995 के पत्र (अनुलग्नक पी-3) से पता चलता है कि 9 अप्रैल, 1994 से नारनौल में जिला सैनिक बोर्ड के तहत चौकीदार-सह-माली का एक पद खाली पड़ा था।इस प्रकार यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की माँ द्वारा अनुग्रह योजना के तहत उसकी नियुक्ति के लिए आवेदन करने *की* तारीख को चौकीदार-सह-माली का एक स्पष्ट पद उपलब्ध था। लेकिन याचिकाकर्ता की मां द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर निर्णय लेने में प्रतिवादी विभाग की ओर से ढिलाई बरतने के कारण याचिकाकर्ता को चतुर्थ श्रेणी सेवक के रूप में नियुक्त नहीं किया गया। 8 मई, 1995 को जारी किए गए निर्देश - ज्ञापन अनुलग्नक पी-4 को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किए जा सकता ताकि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के याचिकाकर्ता के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए, यह अभिनिर्धारित करना उचित है कि याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन पर कार्रवाई करने में विफल रहने के कारण, प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को

स्वर्गीय श्री रंजीत सिंह के आश्रित के रूप में नियुक्ति के उनके अधिकार से वंचित कर दिया है।

7) दूसरे मुद्दे पर आते हुए, हम संलग्नक पी-4 के खंड 2 (iv) का उल्लेख कर सकते हैं जो नीचे दिया गया हैः–

> "मृतक कर्मचारी का आश्रित केवल उसके पति/पत्नी और अविवाहित बच्चों को दर्शाएगा।यदि कर्मचारी की मृत्यु के समय मृत सरकारी कर्मचारी के परिवार में किसी आश्रित की शादी हुई है, तो वह इस योजना के तहत रोजगार के लिए पात्र नहीं होगा।

8) मई, 1995 के सरकारी ज्ञापन (अनुलग्नक पी-4) के उपरोक्त उद्धृत खंड से यह स्पष्ट है कि सरकार द्वारा एक आश्रित के बीच अंतर किया गया है, एक जो मृतक की मृत्यु के समय विवाहित है और एक जो विवाहित नहीं है।पहला अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का हकदार नहीं है जबकि दूसरा अनुलग्नक पी-4 में निहित निर्देशों में खंड 2(iv) को उसके वर्तमान स्वरूप में शामिल करना सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिमाग का पूरी तरह से गैर-प्रयोग दर्शाता है क्योंकि मृतक के आश्रित में उसकी पत्नी भी शामिल होगी। यदि प्रावधान की शाब्दिक व्याख्या की जाए, तो सभी विधवाओं को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की नीति से बाहर रखा जाएगा। हालांकि, व्याख्या के सुस्थापित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कि किसी प्रावधान की हास्यास्पद/ बेतुकी तर्क व्याख्या से बचा जाना चाहिए, हम मानते हैं कि खंड 2 (iv) मृतक की विधवा पर लागू नहीं होता है जो आमतौर पर मृत कर्मचारी की आश्रित है। **उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य** (1) मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में विवाहित आश्रित और

अविवाहित आश्रित के बीच किए गए अंतर को उचित ठहराने की मांग की गई *है। वह युद्ध एक* ऐसा *मामला था जिसमें याचिकाकर्ता ने* अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने की सरकार की नीति के तहत उच्च पदों पर नियुक्ति की मांग की थी।याचिकाकर्ताओं द्वारा उनकी योग्यता के आधार पर नियुक्त किए जाने के दावे को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां देने की नीति सार्वजनिक सेवाओं में नियुक्तियाँ आवेदनों के खुले आमंत्रण और योग्यता के आधार पर ही की जानी चाहिए के इस नियम के अपवादों में से एक है। चाहिए। उनके प्रभुत्वों ने कहाः

> “ऐसा ही एक अपवाद एक कर्मचारी के आश्रितों के पक्ष में है जो नौकरी में मर जाता है और अपने परिवार को गरीबी में और आजीविका के किसी भी साधन के बिना छोड़ देता है।ऐसे में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जब तक आजीविका का कोई स्रोत प्रदान नहीं किया जाता है, तब तक परिवार दोनों उद्देश्यों को पूरा करने में समर्थ नहीं होगा, नियमों में एक प्रावधान किया गया है कि मृतक के आश्रितों में से एक को लाभकारी रोजगार प्रदान किया जाए जो इस तरह के रोजगार के लिए पात्र हो सकता है। इस प्रकार अनुकंपा रोजगार देने का पूरा उद्देश्य परिवार को अचानक आए संकट से उबरने में सक्षम बनाना है।इसका उद्देश्य ऐसे परिवार के किसी सदस्य को मृतक द्वारा धारण किए गए पद के लिए बहुत कम पद देना नहीं है। इसके अलावा, कार्य के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु मात्र से उसके परिवार को आजीविका के ऐसे स्रोत का अधिकार नहीं मिल जाता है। संबंधित सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को मृतक के परिवार की वित्तीय स्थिति की जांच करनी होती है। मृतक के आश्रितों को लाभकारी रोजगार तभी प्रदान किया जाए जब संबंधित सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण को यह

संतुष्टि कि परिवार संकट का सामना करने में सक्षम नहीं है, इस के पश्यात परिवार के योग्य सदस्य को नौकरी की पेशकश की जाएगी।

9) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उपरोक्त निकाले गए भाग से यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट होता है कि अनुकंपा के आधार पर रोजगार के लिए आश्रित के मामले पर विचार करते समय सरकार को परिवार की वित्तीय स्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए।उपरोक्त निर्णय में न्यायमूर्ति ने यह संकेत नहीं दिया कि मृत कर्मचारी के विवाहित आश्रित को बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि यह माना जाना चाहिए कि वह परिवार का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त धन कमा रहा है।भारतीय समाज में बच्चों की शादी उनके माता-पिता द्वारा उनके जीवनकाल के दौरान की जाती है।यह माता-पिता की पवित्र इच्छाओं में से एक है कि उनके बच्चे की शादी उनके जीवनकाल में हो।अधिकांश मामलों में इस तरह के विवाह इस तथ्य की परवाह किए बिना किए जाते हैं कि क्या लड़का कमाने में सक्षम है जिससे उसका और उसके परिवार को भरण और पोषण हो जाए। ग्रामीण भारत में, बच्चों का विवाह उनके वयस्क होने के तुरंत बाद कर दिया जाता है, भले ही विवाहित बच्चे इतनी राशि कमा रहे हों या नहीं, जिससे उसके परिवार को भरण और पोषण हो जाए। हो।इसी तरह एक अविवाहित बच्चा परिवार का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त राशि कमाने में सक्षम हो सकता है ।इसलिए, परिवार की वित्तीय स्थिति का मृतक के आश्रित के विवाह के साथ कोई सीधा संबंध नहीं है।एक विवाहित बच्चा मृत व्यक्ति पर निर्भर हो सकता है और अविवाहित बच्चा मृतक पर निर्भर नहीं हो सकता है।इसलिए।केवल बच्चे की शादी के आधार पर मृतक कर्मचारी के आश्रितों के बीच वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले में दर्शाया गया है कि इस तरह के वर्गीकरण का मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति के मानदंडों से कोई लेना-देना नहीं है। निर्णय।वास्तव में संलग्नक पी-4 का खंड (2) (i) केवल उन मामलों में रोजगार को प्रतिबंधित करने के सरकार के इरादे को दर्शाता

है जहां परिवार की मासिक आय रु। 2, 500 प्रति माह।हमारी राय में, खंड (2) (i) उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों को पर्याप्त रूप से पूरा करता है और मृतक सरकारी कर्मचारी के विवाहित और अविवाहित आश्रितों के बीच किया गया वर्गीकरण पूरी तरह से मनमाना और तर्कहीन है।इस वर्गीकरण का प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं है और इसलिए यह संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत है।

10)ऊपर बताए गए कारणों से, हम रिट याचिका की अनुमति देते हैं।8 मई, 1995 के ज्ञापन (अनुलग्नक पी-4) के खंड 2 (iv) को असंवैधानिक घोषित किया जाता है और इसे निरस्त कर दिया गया है।प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वे अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करें और इस आदेश की प्रमाणित प्रति जमा करने के दो महीने के भीतर एक आवश्यक आदेश पारित करें।

11) दलों को अपना खर्च खुद वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अभिनव गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा